

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 5211/2025

रमेश चंद्र एवं 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 11 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: मोहम्मद रेहान अंसारी, ऋषिकेश त्रिपाठी, शाश्वत त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:- "एक आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 विद्वान उप संचालक चक्रबंदी बांदा को निर्देश दिया जाए कि वे निगरानी संख्या 83/1313 रमेश चंद्र एवं अन्य बनाम भगवत प्रसाद एवं अन्य, जो दिनांक 03.05.1993 से न्यायालय के समक्ष लंबित है, को यथासंभव न्यूनतम समय अवधि के भीतर तय करें।"
3. यह तर्क दिया गया है कि बंदोबस्त अधिकारी चक्रबंदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.1993 से व्यथित होकर, वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने निगरानी प्रस्तुत की है जो वर्ष 1993 से विचाराधीन लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि निगरानी में विपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और वाद अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त वाद को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निर्देश देता है कि वे उपर्युक्त वाद को कड़ाई से कानून के अनुसार, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर तय करें।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

वी.आर.